रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 6 जुलाई, 1989/15 आषाढ़, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-4, 6 जुलाई, 1989

क्रमांक एल0एल0आर0डी0(6)13/89 लैजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 1) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत तारीख 5 जुलाई, 1989 को प्रख्यापित किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348(3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया जाता है।

राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

1533-राजपत्र/89-6-7-89—1,306.

मूल्य : 1 रुपया।

1989 का अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1989

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 16) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

और अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हैं ;

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1989 है ।

धारा 6 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में :— 1976 16

(क) उप-धारा (1) में "एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और

(ख) उप-धारा (2) में "दो हजार" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और

(ग) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) "विष" और "चूना" शब्दों के बीच "ब्लीचिंग पाउडर", शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे, और

(ख) "दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 7-अ, 7-आ और 7-इ का अन्तःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं 7-अ, 7-आ, 7-इ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"7-अ. मत्स्य के मारने में प्रयोग किये जाने वाले डायनामाइट और अन्य विस्फोटक पदार्थ कब्जे में रखने के लिए दण्ड.—यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में, नदी, नदिका, खड्ड, तालाब, झील, जलाशय, जिनमें मत्स्य पाई जाती हैं, के समीप, या

आस-पास या उसके किनारे पर मत्स्य मारने के प्रयोजन के लिए, डायनामाईट या कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है, तो वह जब तक समाधान-प्रद रूप में यह स्पष्ट नहीं कर देता है कि उसने ऐसा डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए अपने कब्जे या नियन्त्रण में रखा था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

7-आ प्रतिषिद्ध ऋतु में मछली मारने या पकड़ने के लिए दण्ड.—इस अधिनियम की धारा 5 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी ऋतु के दौरान, जिसमें धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड(घ) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा मछली मारना या पकड़ना प्रतिषिद्ध किया है, जाल से मछली मारता या पकड़ता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

7-इ. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम की धारा 6, 7 और 7-अ के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।"

5. मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— अनुसूची का प्रतिस्थापन।

अनुसूची

(धारा 10 देखें)

धारा 10 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि ।

क्रमांक	विवरण	प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि
	1	2
1.	अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से छोटे फंदे वाले जाल से मछलियां पकड़ना ।	पांच सौ रुपये ।
2.	अनुज्ञप्ति के बिना मछलियां पकड़ना	तीन सौ रुपये ।
3.	इस अधिनियम के अधीन विहित मानक से कम आकार या वजन की मछली मारना या पकड़ना या विक्रय या मारने, पकड़ने या विक्रय का प्रयास करना ।	तीन सौ रुपये ।
4.	बन्द मौसम में प्रतिषिद्ध जाति की कोई मछली मारना या पकड़ना या विक्रय करना या मारने, पकड़ने का विक्रय का प्रयास करना ।	तीन सौ रुपये ।
5.	नियम के अधीन अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी उपस्कर या ढंग से मछली पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना ।	तीन सौ रुपये ।
6.	नियमों के अधीन अनुज्ञप्त या किन्हीं उपकरणों में से किसी एक समय पर दो से अधिक का प्रयोग ।	तीन सौ रुपये ।

1	2
7. मछली पकड़ते समय अनुज्ञापन-धारियों द्वारा अनुज्ञापन न रखने वाले व्यक्तियों को अपने जाल में सहायता के लिए नियोजित करना या लगाना।	तीन सौ रुपये।
8. प्रतिषिद्ध जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना	तीन सौ रुपये।
9. किसी मछली के जिसका विक्रय इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रतिषिद्ध है विक्रय या विनियम के लिए रखना या अभिदर्शित करना।	तीन सौ रुपय।
10. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में मछली का निर्यात करना या निर्यात करने का प्रयास करना।	एक हजार रुपये।
11. विनिर्दिष्ट बाजार-मूल्य से अधिक मूल्य पर मछली का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रयास करना।	चार सौ रुपये।
12. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ट) के उल्लंघन में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने का जलयान और उपकरण रखना।	चार सौ रुपये।
13. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मछली या मछली-उत्पादन का परिवहन करना या परिवहन करने का प्रयास करना।	चार सौ रुपये।

Authoritative English Text

H. P. Ordinance No. 1 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH FISHERIES (AMENDMENT ORDINANCE) 1989

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (Act No. 16 of 1976).

Whereas the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

And whereas instructions from the President of India to promulgate the Ordinance have neen obtained ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Amendment) Ordinance, 1989.

16 of 1976.

Amendment of section 6.

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (hereinafter called the Principal Act).

(*a*) in sub-section (1) for the words "one year or with fine which may extend to one thousand", the words "three years or with fine which may extend to five thosusand" shall be substituted ;

(*b*) in sub-section (2) for the words "two thousand", the words "five thousand" shall be substituted ; and

(*c*) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act—

(*a*) after the words and sign "poison", but before the word "lime", the words and sign "bleaching powder", shall be inserted ; and

(*b*) for the words "two years, or with fine which may extend to one thousand", the words "three years", or with fine which may extend to five thousand" shall be substituted.

Insertion of new sections 7A, 7B and 7C.

4. After section 7 of the principal Act, the following new sections 7A, 7B and 7C shall be inserted, namely :—

"7-A. *Punishment for the possession of dynamite and other explosive substance to be used for killing the fish.*—If a person is found to be in possession of a dynamite or any other explosive substance for the purpose of killing the fish near or in the vicinity or on the bank of a river, rivulet, khad, pond, lake, reservoir which are habitated by the fishes, shall,

unless he explains satisfactorily that his possession or control over such a dynamite or the explosive substance was for a lawful object, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to three thousand rupees, or with both.

7-B *Punishment for killing or catching fish during prohibited season.*—Notwithstanding anything to the contrary contained in section 5 of this Act, if a person kills or catches fish with a net during the season, in which killing or catching of fish is prohibited under any rule framed under clause (*d*) of sub-section (3) of section 3, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

7-C *Offences to be cognizable and non-bailable.*—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under sections 6, 7, 7A and 7B of this Act shall be cognizable and non-bailable offences.".

Substitution of Schedule.

5. For the existing Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

THE SHEDULE

(*See* Section 10)

MAXIMUM AMOUNT ACCEPTABLE AS COMPENSATION FOR CERTAIN FISHING OFFENCES UNDER SECTION 10

Description 1	Maximum amount acceptable as compensation 2
1. Fishing with a new net having a smaller mesh than that prescribed under the rules made under the Act.	Rupees five hundred.
2. Fishing without a licence	Rupees three hundred.
3. Killing or catching or selling or attempt to kill, catch or sell fish of a size or weight less than the standard prescribed under this Act.	Rupees three hundred.
4. Killing or catching or selling or attempt to kill, catch or sell any fish of a prohibited species during a close season.	Rupees three hundred.
5. Fishing or attempting to fish with any gear or method other than permitted under the rules.	Rupees three hundred.
6. Using at any one time more than two of either or any of the gears permitted under the rules.	Rupees three hundred.

1	2
7. Licence holders employing or engaging non-licensees to help them with their nets, while fishing.	Rupees three hundred.
8. Fishing or attempting to fish in prohibited water.	Rupees three hundred.
9. Offering or exposing for sale or barter any fish, the sale of which is prohibited in any specified area by a notification issued under section 4 of the Act.	Rupees three hundred.
10. Exporting or attempting to export fish in contravention of any rule made under sub-section (3) of section 3 of the Act.	Rupees one thousand.
11. Selling or attempting to sell fish for price above the specified market value.	Rupees four hundred.
12. Possessing fishing craft and tackles unauthorisingly in contravention of clause (k) of sub-section (3) of section 3 of the Act.	Rupees four hundred.
13. Transporting or attempting to transport fish or fish products within specified limits in contravention of clause (l) of sub-section (3) of section 3 of the Act.".	Rupees four hundred.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।